न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थितः–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

ID No. UP5743

सत्र वाद संख्या–109/2026

कम्प्यूटर पंजीयन सं0–176/2026

UPLP010019912026

राज्य

प्रति

1. उत्तम कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद (पति)

2. किरन देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद (सास)

निवासीगण ग्राम रहुआ, थाना फूलबेहड़, जनपद लखीमपुर–खीरी।

मुकदमा अपराध संख्या–455/2025

धारा–85, 80(2), 123, 115(2) बी0एन0एस0

व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,

थाना–फूलबेहड़, जिला–लखीमपुर–खीरी।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता–श्री अरविन्द त्रिपाठी,

विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता–श्री मुकद्दर गिरि,

मृतका का नाम–मोहिनी देवी

घटना की तिथि–04.09.2025

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की तिथि–10.01.2026

सत्र सुपुर्द की तिथि–09.03.2026

आरोप विरचित किये जाने की तिथि–20.03.2026

अभियोजन साक्ष्य अंकित किये जाने की तिथि–31.03.2026 से 04.05.2026 तक

अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 अंकित किये जाने की तिथि–23.05.2026

बहस की तिथि–29.06.2026

निर्णय की तिथि–10.07.2026

<u>निर्णय</u>

1– अभियुक्तगण उत्तम कुमार तथा किरन देवी का विचारण मु0अ0सं0–455/2025, अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 123, 115(2) बी0एन0एस0 एवं

धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–फूलबेहड़, जिला लखीमपुर–खीरी के आरोपों में इस न्यायालय द्वारा किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

2– संक्षेप में उक्त सत्र परीक्षण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा छोटेलाल पुत्र मेड़ई लाल, निवासी मुकारिमपुर थाना गोला, जनपद लखीमपुर–खीरी ने थाना कोतवाली फूलबेहड़ पर दिनांक 07.09.2025 को समय 20:58 बजे इस आशय की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 दी थी कि, उसकी लड़की मोहिनी देवी ग्राम रेहुआ थाना कोतवाली फूलबेहड़, खीरी के उत्तम कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को ब्याही थी, दिनॉक–04.09.2025, को उसके पास फोन गया तुम्हारी लड़की मोहिनी ने जहर खा लिया है, लड़की लखनऊ मेडिकल कालेज में भर्ती है, कल दिनॉक–06.09.2025 को वह अपने रिश्तेदारों सहित पहुॅचा तो उसकी लड़की मोहिनी की मृत्यु हो गयी थी, उसकी लड़की मोहिनी को सास किरन देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद, ननद चॉदनी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद व दामाद उत्तम कुमार आये दिन दहेज बाबत मारते–पीटते थे, उसकी लड़की मोहिनी को जहर देकर मार डाला है। उक्त आधारों पर वादी मुकदमा द्वारा कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी थी।

3– उक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना फूलबेहड़, जिला लखीमपुर–खीरी पर मु0अ0सं0–455/2025, अन्तर्गत धारा 80(2), 85, 123, 115(2) बी0एन0एस0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, का अभियोग अभियुक्तगण उत्तम कुमार, किरन देवी तथा चॉदनी के विरूद्ध कायम करके चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–9 किता की गयी, जिसका खुलासा मुकदमा कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–7 रपट संख्या 38 समय 20.58 बजे दिनांक 07.09.2025 में किया गया। तदोपरान्त मामले की विवेचना शमशेर बहादुर सिंह क्षेत्राधिकारी धौरहरा द्वारा की गयी। दौरान विवेचना, विवेचक ने घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–2 तैयार किया, गवाहान के बयान अंकित किये तथा मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संकलित की एवं विवेचना सम्बन्धी अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए संकलित साक्ष्य के आधार पर नामित अभियुक्ता चॉदनी की नामजदगी गलत पाते हुये अभियुक्तगण उत्तम कुमार तथा किरन देवी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 85, 80(2), 123, 115(2) बी0एन0एस0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध प्रथमदृष्टया पाते हुये आरोप पत्र प्रदर्श क–11 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

सुपुर्दगी आदेशः—

4— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर—खीरी ने सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 09.03.2026 में धारा—230 बी0एन0एस0एस0 के अधीन अभियुक्तगण को आवश्यक प्रपत्रों की प्रतियॉ प्रदान कराये जाने का उल्लेख करते हुये, मामला अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण, सत्र सुपुर्द किया गया।

आरोप की धारायें:—

5— न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर—खीरी द्वारा दिनांक 20.03.2026 को अभियुक्तगण उत्तम कुमार तथा किरन देवी के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा—85, 80(2), 123, 115(2) बी0एन0एस0 तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन के मौखिक साक्षीगण :—

6— अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक को साबित कराने के उद्देश्य से मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया है—

साक्षी	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
पी0डब्लू0—1	छोटेलाल	वादी मुकदमा (मृतका का पिता)
पी0डब्लू0—2	मूलचन्द्र	तथ्य का साक्षी (मृतका का ताऊ)
पी0डब्लू0—3	निर्मला	तथ्य की साक्षी (मृतका की मॉ)

अन्य कोई मौखिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्यः—

7— अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं —

प्रदर्श सं0	प्रपत्र का नाम	किसके द्वारा साबित किया
प्रदर्श क—1	लिखित तहरीर वादी	पी0डब्लू0—1
प्रदर्श क—2	नक्शा नजरी घटनास्थल	बचाव पक्ष द्वारा धारा 330 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वीकार
प्रदर्श क—3	चालान नाश	बचाव पक्ष द्वारा धारा 330 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वीकार
प्रदर्श क—4	फोटोनाश	बचाव पक्ष द्वारा धारा 330 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वीकार
प्रदर्श क—5	चिट्ठी आर0आई0	बचाव पक्ष द्वारा धारा 330 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वीकार

प्रदर्श क–6	पंचायतनामा	बचाव पक्ष द्वारा धारा 330 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वीकार
प्रदर्श क–7	कायमी जी0डी0	बचाव पक्ष द्वारा धारा 330 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वीकार
प्रदर्श क–8	शव विच्छेदन आख्या	बचाव पक्ष द्वारा धारा 330 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वीकार
प्रदर्श क–9	चिक एफ0आई0आर0	बचाव पक्ष द्वारा धारा 330 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वीकार
प्रदर्श क–10	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट	–
प्रदर्श क–11	आरोप–पत्र	बचाव पक्ष द्वारा धारा 330 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वीकार

<u>अभियुक्तगण की परीक्षा :–</u>

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त, अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 दिनांक 23.05.2025 को अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा तथ्य के गवाहान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का कथन करते हुए झूठा मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया है।

9– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया गया।

<u>अभियोजन का मौखिक साक्ष्य</u> :–

10– अभियोजन साक्षी सं0–1 वादी मुकदमा छोटेलाल ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित–31.03.2026, में सशपथ बयान किया है कि, मोहिनी उसकी बेटी थी। मोहिनी की शादी दिनॉक–17.10.2024, को उत्तम के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुयी थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था। उस दान–दहेज से मोहिनी के ससुराल वाले पति उत्तम, सास किरन देवी संतुष्ट थे। मोहिनी के ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में किसी प्रकार की मांग नहीं करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसकी बेटी मोहिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। मुल्जिमान ने उसकी बेटी मोहिनी को जहर देकर नहीं मारा था बल्कि उसने मोहिनी को फोन किया था और बताया था कि आरूसी का हाथ टूट गया है। इस पर उसकी बेटी ने अपने पति उत्तम से देहरादून उनके पास जाने के लिए कहा था तो उसके दामाद

उत्तम ने कहा इस समय ज्यादा रात हो गयी है, सुबह देहरादून चलेंगे। इसी बात को लेकर उसकी बेटी मोहिनी गुस्सा हो गयी और उसने आवेश में आकर स्वयं जहर पी लिया था। उसकी बेटी मोहिनी गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मोहिनी को उसके ससुरालीजन ने जहर पीने के लिए प्रेरित नहीं किया था। मोहिनी की हालत बिगड़ने पर उसके पति व परिवार वालों ने उसे मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती कराया था, जहॉ दौरान इलाज मृत्यु हो गयी थी। मोहिनी की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह भी मेडिकल कालेज लखनऊ गया था। जब वह वहॉ पहुॅचा था तब मोहिनी के ससुराल वाले वहॉ पर मौजूद थे। मोहिनी की लाश का पंचनामा उसके सामने हुआ था। उसे भी पंचनामा का गवाह बनाया गया था। पंचनामा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी पंचनामा पर हस्ताक्षर कराये गये थे। साक्षी को शामिल पत्रावली मृतका मोहिनी का पंचनामा दिखाया गया तो साक्षी ने कहा इस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है, जिनकी वह शिनाख्त करता है। मृतका मोहिनी का शव सीलमुहर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उसने एक तहरीर गॉव वालों व रिश्तेदारों के बहकावे में आकर थाना फूलबेहड़ में दे दी थी। तहरीर लिखने वाले ने उसे तहरीर पढ़कर नहीं सुनायी थी, केवल उसके हस्ताक्षर बनवा लिये थे। शामिल पत्रावली तहरीर कागज सं0–क4/4 देखकर साक्षी ने कहा यह वही तहरीर है, जो उसने थाने पर दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिनकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने उसके बयान नहीं लिए थे और न ही उसकी निशानदेही पर कोई नक्शा नजरी तैयार किया था।

11– अभियोजन साक्षी सं०–2 मूलचन्द्र ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित–10.04.2026, में सशपथ बयान किया है कि, मोहिनी उसकी भतीजी थी। मोहिनी की शादी आज से डेढ़–दो साल पहले उत्तम कुमार के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुयी थी। शादी में दिये गये दान दहेज से मोहिनी के ससुराल वाले पति उत्तम व सास किरन देवी संतुष्ट थी। मोहिनी के ससुराल वाले किसी प्रकार के अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसकी भतीजी मोहिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। मुल्जिमान ने उसकी भतीजी मोहिनी को जहर देकर नहीं मारा था। मोहिनी के मायके वालों ने फोन किया था कि आरूषी का हाथ टूट गया है, इस पर उसकी भतीजी ने अपने पति उत्तम से

रात में ही देहरादून जाने की जिद कर रही थी, रात ज्यादा हो गयी थी, इस कारण उत्तम ने कहा कि रात ज्यादा हो गयी है, अभी चलना ठीक नहीं, सुबह होते ही हम देहरादून चलेंगे। इसी बात को लेकर मोहिनी गुस्सा हो गयी थी और उसने आवेश में आकर स्वयं जहर पी लिया था। उसकी भतीजी बचपन से ही गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मोहिनी को उससे ससुराल वालों ने जहर पीने के लिए नहीं उकसाया था। मोहिनी की हालत बिगड़ने पर उसके पति उत्तम कुमार ने उसे मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती कराया था, जहॉ दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी थी। वह मेडिकल कालेज नहीं गया था। वह मोहिनी के अन्तिम संस्कार में शामिल हुआ था, अन्तिम संस्कार मोहिनी के पति उत्तम ने ही किया था। मोहिनी की मृत्यु में उसके ससुराल वालों का कोई दोष नहीं है, वे निर्दोष हैं।

12— अभियोजन साक्षी सं०–3 निर्मला ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित–04.05.2026, में सशपथ बयान किया है कि मोहिनी उसकी बेटी थी। मोहिनी की शादी दिनॉक–17.10.2024, को उत्तम के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुयी थी। शादी में उन लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था, दिये गये दान–दहेज से मोहिनी के ससुराल वाले पति उत्तम, सास किरन देवी सन्तुष्ट थे। मोहिनी के ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में किसी प्रकार की मांग नहीं करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसकी बेटी मोहिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। मुल्जिमान ने उसकी बेटी मोहिनी को जहर देकर नहीं मारा था बल्कि उसके पति ने मोहिनी को फोन किया था और बताया था कि छोटी बेटी आरूसी का हाथ टूट गया है। इस पर उसकी बेटी मोहिनी ने अपने पति उत्तम से देहरादून उनके पास आने के लिए कहा था तो उसके दामाद उत्तम ने कहा कि रात ज्यादा हो गयी है, सुबह हम देहरादून चलेंगे। इसी बात को लेकर उसकी बेटी मोहिनी गुस्सा हो गयी और उसने गुस्से में आकर स्वयं जहर पी लिया था। उसकी बेटी मोहिनी गुस्सैल किस्म की थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मोहिनी को उसके ससुराल वालों ने जहर पीने के लिए प्रेरित नहीं किया था। मोहिनी की हालत बिगड़ने पर उसके पति व परिवार वालों ने उसे मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती कराया था, जहॉ दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी थी। मोहिनी की मृत्यु की सूचना मिलने पर वे लोग भी मेडिकल कालेज लखनऊ गये थे। जब वह वहॉ पहुॅची

थी तब मोहिनी के ससुराल वाले वहॉ पर मौजूद थे। उसकी बेटी मोहिनी की मृत्यु के संबंध में पुलिस वालों ने उसके बयान नहीं लिये थे।

<u>अभियोजन तर्क :</u>–

13– जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये कि वादी मुकदमा छोटेलाल ने अपनी पुत्री मोहिनी की शादी दिनॉक–17.10.2024, को अभियुक्त उत्तम कुमार के साथ अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज देकर की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही अभियुक्तगण अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे तथा मांग पूरी न होने पर मृतका को मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करके तरह–तरह की यातनाये देने लगे। दिनॉक–04.09.2025 को वादी मुकदमा को सूचना मिली कि उसकी लड़की मोहिनी ने जहर खा लिया है और लड़की मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती। सूचना पर वादी मुकदमा जब मेडिकल कालेज लखनऊ पहॅुचा तो उसकी लड़की मृत अवस्था में मिली। अभियुक्तगण ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों की विशिष्टियॉ युक्ति–युक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित होती हैं, जिसका समर्थन अभिलेखीय साक्ष्य से भी होता है। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर सामाजिक अपराध कारित किया गया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

<u>बचाव पक्ष के तर्क :</u>–

14– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को का खण्डन करते हुये अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये, कि अभियोजन पक्ष प्रश्नगत घटना को प्रमाणित करने में असफल रहा है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, बल्कि वे पक्षद्रोही हो गये, पक्षद्रोही साक्षीगण से जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त जिरह की गयी, परन्तु जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो। अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्ति–युक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें बइज्जत बरी किया जाये।

15– पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात, इस प्रकरण में विनिश्चय किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं का उदय होता है –

1– क्या मृतका मोहिनी देवी की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर कारित हुई है?

2– क्या मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्य घटित हुई है?

3– क्या मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका को दहेज की मांग के कारण प्रताड़ित किया गया था?

16– प्रश्नगत मामले में गुण–दोष के आधार पर विवेचना किये जाने से पूर्व बी0एन0एस0 की धारा 85, 80(2) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113बी का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है।

दहेज मृत्यु–(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसे पति या नातेदार को उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ''दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1961 का 28)'' की धारा 2 में

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा।

2– भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में प्रताड़ना को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है–

धारा–85–जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए ''क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेरित है।''–

क– जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन अंग व स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति कारित करने की सम्भावना है या

ख– किसी महिला को इस दृष्टि सें तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाये या किसी महिला को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा।

17– जहां दहेज मृत्यु का प्रश्न विचाराधीन हो, वहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा–118 में वर्णित उपधारणा आकर्षित होती है जो निम्न प्रकार है–

धारा–118– जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए ''दहेज मृत्यु'' का वही अर्थ है जो भारतीय न्याय, 2023 की धारा–80 में है।

18– विधिनुसार धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की उपधारणा केवल उसी अवस्था में आकर्षित होती है, जब अभियोजन पक्ष की ओर से धारा 80(2) बी0एन0एस0 में वर्णित उपरोक्त सारवान बिन्दुओं को प्रमाणित कर दिया जाता है, अर्थात उक्त बिन्दुओं को साबित करने का प्रारम्भिक भार अभियोजन पक्ष पर है। जब उक्त बिन्दुओं को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रमाणित कर दिया जाता है, तभी उन्हें धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का लाभ प्राप्त होगा और परिणाम स्वरूप उपधारणा का खण्डन करने का भार अभियुक्तगण पर स्थानान्तरित हो जाता है।

19– उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर धारा–80(2) बी0एन0एस0 के उपरोक्त वर्णित आवश्यक तत्वों पर बिन्दुवार विवेचना किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>निस्तारण विनिश्चायक बिन्दु संख्या–1</u>

20– उक्त बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृतका मोहिनी देवी की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर कारित हुई है ?

21– इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा छोटे लाल पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मोहिनी उसकी बेटी थी, मोहिनी की शादी दिनॉक–17.10.2024, को उत्तम के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुयी थी। इसी प्रकार निर्मला पी0डब्लू0–3 मृतका की मॉ ने भी अपनी मुख्य परीक्षा

में मृतका मोहिनी देवी की शादी दिनॉक–17.10.2024, को उत्तम के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार होने का कथन किया है, परन्तु अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान जिरह साक्षीगण से उक्त तथ्य की बाबत कोई जिरह नहीं की गयी, और न ही विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षीगण को इस आशय का कोई सुझाव दिया गया कि अभियुक्त उत्तम की मृतका से उपरोक्त माह व वर्ष में शादी नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षीगण का उपरोक्त बयान अखण्डनीय होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–8 में मृतका की मृत्यु, दिनांक 05.09.2025 को होना अंकित है।

22– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का एक साथ अवलोकन करने से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मृतका मोहिनी देवी की शादी अभियुक्त उत्तम कुमार के साथ दिनॉक–17.10.2024, को सम्पन्न हुई थी, तदोपरांत दिनांक 05.09.2025 को मोहिनी देवी की मृत्यु कारित हुई अर्थात् अभियोजन साक्ष्य से मृतका की मृत्यु उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर कारित होना साबित है।

<u>निस्तारण विनिश्चायक बिन्दु संख्या–2</u>

23– उक्त बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्य घटित हुई है ?

24– इस सम्बन्ध में वादी छोटेलाल पी0डब्लू0–1 ने तहरीर प्रदर्श क–1 में कथन किया है कि दिनॉक–04.09.2025, को उसके पास फोन आया कि उसकी लड़की मोहिनी ने जहर खा लिया है, लड़की लखनऊ मेडिकल कालेज में भर्ती है। दिनॉक–06.09.2025 को वह अपने रिश्तेदारों सहित पहॅुचा तो उसकी लड़की मोहिनी की मृत्यु हो गयी थी।

25– इस प्रकार तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं, बल्कि सूचना पर जब वह मेडिकल कालेज पहॅुचा तो मृतका की मृत्यु हो चुकी थी।

26– ऐसी स्थिति में मृतका की मृत्यु का सही कारण जानने हेतु उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–8, का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व किसी प्रकार की कोई चोट आना अंकित नहीं है तथा मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण मृतका के विसरा के भागों को संरक्षित कर जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु

दिनॉक–05.09.2025 को 03:41 पी0एम0 पर होना अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में विसरा के भागों में क्लोरपायरीफॉस इन्सेक्टिसाइड विष पाया जाना अंकित है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने से यही प्रलक्षित होता है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा क्लोरपायरीफॉस इन्सेक्टिसाइड नाम जहर खाने के कारण कारित हुई है।

27– ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका की मृत्यु हत्या है अथवा आत्महत्या है?

28– इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन ने किसी भी ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया, जिसने अभियुक्तगण को मृतका की हत्या करते हुये देखा हो। इसके अतिरिक्त मृतका के पिता पी0डब्लू0–1, मृतका का ताऊ मूलचन्द्र पी0डब्लू0–2 तथा मृतका की मॉ निर्मला पी0डब्लू0–3 ने अपनी–अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मृतका के पिता छोटेलाल ने मृतका को फोन किया था और बताया था कि आरूसी का हाथ टूट गया है, इस पर मृतका ने अपने पति उत्तम से देहरादून जाने के लिए कहा था तो उत्तम ने कहा इस समय ज्यादा रात हो गयी है, सुबह देहरादून चलेंगे। इसी बात को लेकर मृतका गुस्सा हो गयी और उसने आवेश में आकर स्वयं जहर पी लिया था। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से यही प्रलक्षित होता है कि मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में इस आशय का कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को आत्महत्या के दुष्प्रेरित किया गया हो या अभियुक्तगण द्वारा की गयी प्रताड़ना से मृतका ने आत्महत्या की हो। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं परिस्थितियों से प्रश्नगत मामला हत्या का नहीं, बल्कि आत्महत्या का प्रतीत होता है।

<u>निस्तारण विनिश्चायक बिन्दु संख्या–3</u>

29– उक्त बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका को दहेज की मांग के कारण प्रताड़ित किया जाता था?

30– इस सम्बन्ध में तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में वर्णित कथनानुसार वादी की लड़की मोहिनी देवी, उत्तम कुमार को ब्याही थी, दिनॉक–04.09.2025, को उसके पास फोन गया तुम्हारी लड़की मोहिनी ने जहर खा लिया है, लड़की लखनऊ मेडिकल कालेज में भर्ती है, कल

दिनॉक–06.09.2025 को वह अपने रिश्तेदारों सहित पहुँचा तो उसकी लड़की मोहिनी की मृत्यु हो गयी थी, उसकी लड़की मोहिनी को सास किरन देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद, ननद चॉदनी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद व दामाद उत्तम कुमार आये दिन दहेज बाबत मारते–पीटते थे, उसकी लड़की मोहिनी को जहर देकर मार डाला है।

31– इस स्तर पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मृतका के पिता/वादी पी0डब्लू0–1 छोटेलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथानक को पूर्ण रूप से तिरस्कृत करते हुए कथन किया है कि मोहिनी उसकी बेटी थी। मोहिनी की शादी दिनॉक–17.10.2024, को उत्तम के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुयी थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था। उस दान–दहेज से मोहिनी के ससुराल वाले पति उत्तम, सास किरन देवी संतुष्ट थे। मोहिनी के ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में किसी प्रकार की मांग नहीं करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसकी बेटी मोहिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। मुल्जिमान ने उसकी बेटी मोहिनी को जहर देकर नहीं मारा था बल्कि उसने मोहिनी को फोन किया था और बताया था कि आरूसी का हाथ टूट गया है। इस पर उसकी बेटी ने अपने पति उत्तम से देहरादून उनके पास जाने के लिए कहा था तो उसके दामाद उत्तम ने कहा इस समय ज्यादा रात हो गयी है, सुबह देहरादून चलेंगे। इसी बात को लेकर उसकी बेटी मोहिनी गुस्सा हो गयी और उसने आवेश में आकर स्वयं जहर पी लिया था। उसकी बेटी मोहिनी गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मोहिनी को उसके ससुरालीजन ने जहर पीने के लिए प्रेरित नहीं किया था। मोहिनी की हालत बिगड़ने पर उसके पति व परिवार वालों ने उसे मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती कराया था, जहॉ दौरान इलाज मृत्यु हो गयी थी। मोहिनी की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह भी मेडिकल कालेज लखनऊ गया था। जब वह वहॉ पहुँचा था तब मोहिनी के ससुराल वाले वहॉ पर मौजूद थे। मोहिनी की लाश का पंचनामा उसके सामने हुआ था। उसे भी पंचनामा का गवाह बनाया गया था। पंचनामा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी पंचनामा पर हस्ताक्षर कराये गये थे। वादी द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करा, साक्षी से जिरह की गयी, दौरान जिरह साक्षी को उसका धारा–180 बी0एन0एस0एस0, का बयान

पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि उसकी बेटी मोहिनी अपनी ससुराल में हंसी–खुशी से रहती थी। उसने कभी भी अपने ससुराल वालों को किसी प्रकार की कोई शिकायत उन लोगों से नहीं की थी। मोहिनी की ससुराल वाले उससे अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं करते थे और न ही उसे अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यह बात सही है कि उसकी बेटी मोहिनी की मृत्यु में उसके पति उत्तम व सास किरन देवी का कोई दोष नहीं है।

32– इस प्रकार वादी पी0डब्लू0–1 के उपरोक्त बयान के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में, तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में वर्णित कथनों का समर्थन नहीं किया है बल्कि तहरीर में वर्णित कथनों के विपरीत अभियुक्तगण के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में भी वादी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो।

33– इसी क्रम में मृतका के ताऊ पी0डब्लू0–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि शादी में दिये गये दान–दहेज से मोहिनी के ससुराल वाले पति उत्तम व सास किरन देवी संतुष्ट थी। मोहिनी के ससुराल वाले किसी प्रकार के अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसकी भतीजी मोहिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। मुल्जिमान ने उसकी भतीजी मोहिनी को जहर देकर नहीं मारा था। मोहिनी के मायके वालों ने फोन किया था कि आरूषी का हाथ टूट गया है, इस पर उसकी भतीजी ने अपने पति उत्तम से रात में ही देहरादून जाने की जिद कर रही थी, रात ज्यादा हो गयी थी, इस कारण उत्तम ने कहा कि रात ज्यादा हो गयी है, अभी चलना ठीक नहीं, सुबह होते ही हम देहरादून चलेंगे। इसी बात को लेकर मोहिनी गुस्सा हो गयी थी और उसने आवेश में आकर स्वयं जहर पी लिया था। उसकी भतीजी बचपन से ही गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मोहिनी को उससे ससुराल वालों ने जहर पीने के लिए नहीं उकसाया था। मोहिनी की हालत बिगड़ने पर उसके पति उत्तम कुमार ने उसे मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती कराया था, जहॉ दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी थी। वह मेडिकल कालेज नहीं

गया था। वह मोहिनी के अन्तिम संस्कार में शामिल हुआ था, अन्तिम संस्कार मोहिनी के पति उत्तम ने ही किया था। मोहिनी की मृत्यु में उसके ससुराल वालों का कोई दोष नहीं है, वे निर्दोष हैं। उक्त साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करा, साक्षी से जिरह की, दौरान जिरह साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि उसकी भतीजी मोहिनी अपनी ससुराल वालों के साथ हंसी–खुशी रहती थी। उसने कभी भी अपने ससुराल वालों की किसी प्रकार की कोई शिकायत उन लोगों से नहीं की थी। मोहिनी की ससुराल वाले उससे किसी प्रकार के अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं करते थे और न ही उसे अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

34– इस प्रकार मृतका के ताऊ पी0डब्लू0–2 मूलचन्द्र के उपरोक्त बयान से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है बल्कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से नकार दिया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से साक्षी से की गयी जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो।

35– इसी क्रम में मृतका की मॉ पी0डब्लू0–3 निर्मला ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मोहिनी के ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में किसी प्रकार की मांग नहीं करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसकी बेटी मोहिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। मुल्जिमान ने उसकी बेटी मोहिनी को जहर देकर नहीं मारा था बल्कि उसके पति ने मोहिनी को फोन किया था और बताया था कि छोटी बेटी आरूसी का हाथ टूट गया है। इस पर उसकी बेटी मोहिनी ने अपने पति उत्तम से देहरादून उनके पास आने के लिए कहा था तो उसके दामाद उत्तम ने कहा कि रात ज्यादा हो गयी है, सुबह हम देहरादून चलेंगे। इसी बात को लेकर उसकी बेटी मोहिनी गुस्सा हो गयी और उसने गुस्से में आकर स्वयं जहर पी लिया था। उसकी बेटी मोहिनी गुस्सैल किस्म की थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ

जाता था। मोहिनी को उसके ससुराल वालों ने जहर पीने के लिए प्रेरित नहीं किया था। मोहिनी की हालत बिगड़ने पर उसके पति व परिवार वालों ने उसे मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती कराया था, जहॉ दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी थी। मोहिनी की मृत्यु की सूचना मिलने पर वे लोग भी मेडिकल कालेज लखनऊ गये थे। जब वह वहॉ पहुॅची थी तब मोहिनी के ससुराल वाले वहॉ पर मौजूद थे। उक्त साक्षी द्वारा भी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करा, उससे जिरह की। दौरान जिरह साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकती है। इस प्रकार साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही दौरान जिरह साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो।

36— इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्य के सभी साक्षीगण ने अपनी—अपनी साक्ष्य में मृतका के विवाह के बाद से मृतका की मृत्यु से पूर्व तक, मृतका अथवा मृतका के परिवारीजनों से दहेज की मांग किये जाने का कोई कथन नहीं किया है, अपितु साक्षीगण के उपरोक्त बयानात का एक साथ अवलोकन करने से यही परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण ने शादी से पूर्व एवं शादी के बाद मृतका मोहिनी देवी की मृत्यु के पूर्व तक, मृतका से दहेज की कोई मॉग नहीं की थी और न ही मृतका को प्रताड़ित किया था बल्कि साक्षीगण के बयान के विवेचन से यही परिलक्षित होता है कि मृतका अपने पति उत्तम कुमार से देहरादून जाने के लिए जिद कर रही थी, उत्तम द्वारा मना किये जाने पर आवेश में आकर मृतका ने जहर खा लिया, जिसके परिणामस्वरूप दिनॉक—05.09.2025, को दौरान इलाज मृतका की मृत्यु हो गयी।

37— इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यही परिलक्षित होता है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व, मृतका को दहेज की मांग के कारण प्रताड़ित किये जाने के तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामले में धारा 80(2) बी0एन0एस0 व धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्राविधान आकर्षित नहीं होते हैं।

38– जहॉ तक प्रश्नगत मामले में धारा 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की उपधारणा के लागू होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 117 एवं धारा 109 की उपधारणा उन्हीं परिस्थितियों में आकर्षित होती है, जब मृतका द्वारा अपने विवाह के सात वर्ष के अन्दर आत्महत्या कारित की गयी हो और अभियोजन द्वारा दहेज की बाबत् मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता, घटना से पूर्व अतिरिक्त दहेज की मांग व दहेज हत्या के तथ्य को युक्तियुक्त साक्ष्य से स्थापित किया गया हो। प्रश्नगत मामले में मृतका द्वारा अपने विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या किया जाना तो परिलक्षित होता है, परन्तु अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ क्रूरता करने अथवा मृतका को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने की बाबत कोई कथन नहीं किया है। अतः उपरोक्त दशा में अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 117 एवं धारा 109 की उपधारणा भी लागू नहीं होती है।

39– जहॉ तक अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार किये जाने के आधार पर ही अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

40– इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 80(2) बी0एन0एस0 की समस्त विशिष्टियों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामले में धारा–118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्राविधान लागू नहीं होते। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज मांगे जाने व मृतका के साथ क्रूरता किये जाने के तथ्य को भी प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामले में धारा 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्राविधान भी लागू नहीं होते हैं।

41– इस प्रकार पत्रावली पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 123 व 115(2) बी0एन0एस0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध कर दण्डित किया जा सके। तदनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त

आरोपित आरोपों की विशिष्टयां युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। इसलिये अभियुक्तगण उत्तम कुमार तथा किरन देवी धारा–85, 80(2), 123, 115(2) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के दण्डनीय अपराध में सन्देह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

42– उक्त के अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 पर अपने हस्ताक्षर होने व तहरीर को थाने पर देने का कथन किया गया है, वहीं दूसरी ओर वादी ने अपनी साक्ष्य में तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित सम्पूर्ण कथन को तिरस्कृत कर दिया है। इस प्रकार न्यायालय की राय में वादी द्वारा जानते बूझते हुए न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसकी बाबत वादी के विरूद्ध संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रारम्भ किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

(i) अभियुक्तगण उत्तम कुमार तथा किरन देवी को धारा–85, 80(2), 123, व 115(2) बी0एन0एस0 तथा धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए, दोषमुक्त किया जाता है।

(ii) अभियुक्ता किरन देवी जमानत पर है। अभियुक्ता के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(iii) अभियुक्त उत्तम कुमार जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का रिहाई परवाना अविलम्ब जिला कारागार, लखीमपुर–खीरी प्रेषित किया जाए।

(iv) अभियुक्तगण धारा 481 बी0एन0एस0एस0 के प्राविधानों के अनुसार मु0–50,000–50,000/–रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की एक–एक प्रतिभूतियां इस उद्देश्य से न्यायालय में प्रस्तुत करें कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है एवं उन्हें तलब किया जाता है तो वे वहां उपस्थित होंगे। उक्त बंधपत्र 06 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

(v) प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा छोटे लाल पुत्र मेड़ई लाल निवासी मुकारिमपुर थाना गोला, जनपद लखीमपुर–खीरी के विरूद्ध फौजदारी प्रकीर्ण मामला अन्तर्गत धारा–383 बी0एन0एस0एस0 (344 दं0प्र0सं0) पंजीकृत किया

जाए। कार्यालय लिपिक अविलम्ब प्रकीर्ण पत्रावली तैयार करके, मेरे समक्ष अग्रिम आदेश हेतु प्रस्तुत करें।

(शिव कुमार सिंह)
दिनांकः—10.07.2026 सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर—खीरी।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(शिव कुमार सिंह)
दिनांकः—10.07.2026 सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर—खीरी।
ID No. UP5743

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.16 10:35:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court